मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की **21** सितंबर, **2019** को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक की चर्चाओं का सारांश

*****

मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (कैब) की एक विशेष बैठक **21**, सितंबर, **2019** को हॉल **5**, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस बैठक में श्री किरेन रिजिजू, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री; श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री संजय शामराव धोत्रे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी और सदस्य सचिव (सीएबीई), सुश्री रीना रे, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, एमएचआरडी, श्री राधेश्याम जुलानिया, खेल मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, **19** राज्यों के **26** शिक्षा मंत्री, **25** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सीएबीई के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख और विश्वविद्यालयों के कुलपति और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे । प्रतिभागियों की सूची अनुबंध I पर है।

2. श्री आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव, उच्च शिक्षा (एमएचआरडी) और सदस्य सचिव (सीएबीई) ने मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के शिक्षा मंत्रियों और राज्य के अधिकारियों, सीएबीई के सदस्यों, स्वायत्त संगठनों के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और एमएचआरडी के सभी वरिष्ठ अधिकारी का स्वागत किया। उन्होंने सीएबीई की स्थापना के बारे में जानकारी दी जो समग्र निकाय है और शिक्षा पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है जो नियमित रूप से बैठक करते हैं क्योंकि यह नीति निर्माण में राज्यों की केंद्रीयता और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को स्वीकार करता है। उन्होंने बताया कि आज यह मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए सीएबीई की एक विशेष बैठक है। उन्होंने संक्षेप में एनईपी पर ऑनलाइन, जमीनी स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विषयगत विचार-विमर्श सहित तीन-आयामी परामर्श प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन और इसकी 10 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 रिपोर्ट तैयार की गई है। इस अवसर पर, उन्होंने डॉ. के. कस्तूरीरंगन और सभी समिति सदस्यों को मजबूत नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी साझा किया कि मंत्रालय को ड्राफ्ट एनईपी पर 2 लाख से अधिक सुझाव और विचार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, 'नई शिक्षा नीति' बनाकर हम 'न्यू इंडिया' बनाएंगे।

3. सुश्री रीना रे, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता (एमएचआरडी) ने कहा कि नई शिक्षा नीति 'न्यू इंडिया' की शुरुआत करने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में हाल ही में की गई सभी पहलों के बारे में साझा किया, जैसे कि समग्र शिक्षा, पढ़े भारत बढ़े भारत, एमडीएम, कला उत्सव, परीक्षा पे चर्चा और 12 वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। बाद में उन्होंने मसौदा नीति की कुछ मुख्य बातें साझा कीं, जैसे कि शिक्षकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, पेशेवर मानक स्थापित करना, न केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी प्रौद्योगिकी की भूमिका, और आरटीई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता। अंत में, उसने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और ड्राफ्ट एनईपी पर चर्चा करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

4. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मानव संसाधन विकास मंत्री और सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि संस्कृति और शिक्षा अन्योन्याश्रित हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों के बीच बातचीत से अधिक सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और नई पीढ़ी को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और सभी से इस पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

5. श्री संजय शामराव धोत्रे, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों और सीएबीई के सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बोर्ड केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में भंग कर दिया गया था। यह 1935 में पुनस्थापित किया गया था और तब से अस्तित्व में है। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि, 1992 का एनपीई 1986 संशोधन, शिक्षा को आरटीई अधिनियम, 2009 के साथ मौलिक अधिकार बनाना, नो-डिटेंशन पॉलिसी की समीक्षा करना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी शिक्षा को सुलभ, न्यायसंगत और गुणात्मक बनाने के लिए अग्रणी प्रयास कर रही हैं। शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सरकार गतिशील सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल प्रासंगिक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। समय के साथ, नए सरोकारउभरते हैं, उदाहरण के लिए, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई परिकल्पना, एकल-उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन, स्वच्छता और हरित कवरेज बढ़ाना। उन्होंने बताया कि, सरकार ने एक समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण के लिए एक विस्तृत शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें विशेषज्ञ की राय, क्षेत्र के अनुभव, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया, साथ ही साथ सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए पाठ शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी के लिए परामर्श प्रक्रिया 19 अगस्त 2015 को आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की बैठक में कार्यसूची बिंदुओं में से एक थी और **25** अक्टूबर, **2016** को केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड 64 वीं बैठक में नई शिक्षा नीति (एनईपी) से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया था। अंत में, उन्होंने सभी राज्यों से अपने बहुमूल्य विचार साझा करने और विचार-विमर्श में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह नीति कई वैज्ञानिक, इंजीनियरों और कई कुशल व्यक्तियों का निर्माण करेगी लेकिन अधिक महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान बनाना। इन शब्दों के साथ, उन्होंने कार्यवाही की सफलता की कामना की।

6. श्री किरेन रिजिजू, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने अवसर प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इस बैठक ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और इसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया है। उन्होंने शिक्षा और खेल से संबंधित सभी प्रमुख पहलों को साझा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए हर देश की अपनी अलग सोच है और हमने अत्यधिक विचार शक्ति बनाई है कि बच्चों को **6** साल तक मुक्त होना चाहिए। इस दुनिया में शिक्षा के लिए चरम विचार हैं। उन्होंने अपने विदेशी अनुभवों के बारे में साझा किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों की जिज्ञासा देखी थी कि बच्चों को कैसे योग्य बनाया जाए लेकिन भारत फिटनेस के मामले में पीछे है। उन्होंने साझा किया कि मंत्रालय ने भारत के सभी नागरिकों के लिए माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान शुरू किया है। उन्होंने विश्वनाथन आनंद, भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर और विश्व शतरंज चैंपियन सहित कुछ सफलता की कहानियों को भी साझा किया कि फिटनेस गतिविधियों को शुरू करने के बाद वे जीवन में कैसे सफल हुए। उन्होंने कहा कि वह इस अभियान को एक बड़ा सफल अभियान बनाने के लिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से बात करेंगे और इन्हें लिखेंगे। अब तक फिट इंडिया अभियान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए **10** मिलियन से अधिक व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि 'न्यू इंडिया' के लिए हमें बदलना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई दी और **232** करोड़ बच्चों को "फिट इंडिया" अभियान से गुजरने का आग्रह किया। उन्होंने आत्महत्या करने वाले छात्रों पर चिंता व्यक्त की जो खराब मानसिक फिटनेस को दर्शाता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि जीवन को सुखी और प्रेममय बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाना। उनके अनुसार, जीवन परीक्षा से परे है और प्रत्येक भारतीय को जीवन का आनंद लेना चाहिए और जीवन को अधिक आनंदमय बनाना चाहिए। अंत में, उन्होंने सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों को धन्यवाद दिया और उनसे "फिट इंडिया" को पूरे देश में एक जन अभियान बनाने का आग्रह किया। उन्होंने खेल सचिव को 'फिट इंडिया' पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया।

7. श्री राधेश्याम जुलानिया, सचिव खेल, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने यह कहते हुए अपना सम्भाषण शुरू किया कि माननीय पीएम ने 29 अगस्त, 2019 को 'फिट इंडिया' अभियान शुरू किया है। इस प्रस्तुति में फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है और इसे शिक्षा का अभिन्न अंग बनने, फिट छात्रों के लिए फिट शिक्षकों का महत्व बताने के लिए बनाया गया है। उन्होंने 'खेलो इंडिया ऐप 'और फिट इंडिया स्कूल कार्यक्रम के बारे में भी

जानकारी दी और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर स्कूलों में' फिट इंडिया '2 किमी चलने का कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। अंत में उन्होंने 'खेलेगा भारत खिलेगा भारत' कहकर समाप्ति की।

8. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों और राज्य अधिकारियों, कैब के सदस्यों, स्वायत्त संगठनों के अध्यक्ष, प्रख्यात शिक्षाविदों और एमएचआरडी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का केंदीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की विशेष बैठक में स्वागत किया जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2019 पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने 'फिट इंडिया' अभियान और खेलों पर की गई पहल के लिए श्री किरेन रिजिजू को धन्यवाद दिया। उन्होंने एनईपी समिति के सदस्य प्रो. मंजुल भार्गव जिन्होंने यूएसए से आकर बैठक में भाग लिया, का धन्यवाद दिया और प्रो. एम. के. श्रीधर को मजबूत मसौदा नीति दस्तावेज के साथ आने के लिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 33 वर्षों के बाद लाई जा रही है और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद इसका मसौदा तैयार किया गया है। राज्यों ने इसके निर्माण पर सहमति व्यक्त की है और महत्वपूर्ण सुझावों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई नीति की नींव रखने के लिए शिक्षा मंत्री और अन्य प्रतिष्ठित लोग जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक राष्ट्रीय एजेंडा है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को छूता है। हमारे देश में विविधतापूर्ण और बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय नीतियों को विकसित करने का कार्य, जबकि एक ही समय में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकास के समावेशी एजेंडे का सम्मान और समावेश करना, वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने एक सहभागी दृष्टिकोण पर जोर दिया जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, शिक्षाविद, स्वायत्तशासी संस्थान, निजी क्षेत्र और अन्य सभी हितधारक एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं जो शिक्षा के माध्यम से भारत के बच्चों और युवाओं को सशक्त बना रहा है। शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के नाते, उन्होंने नीति निर्माण और उनमें प्रभावी कार्यान्वयन दोनों में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसलिए, सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के साथ परामर्श और निरंतर संवाद आवश्यक हो जाता है। उन्होंने शुभकामनाएं दीं और राज्य सरकार को उनके सहज समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय नीति, 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हमारी बड़ी युवा आबादी की समकालीन और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस प्रकार, तीन दशक से अधिक समय के बाद इस नीति को लाया जा रहा है। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता को मान्यता दी, जिसका उद्देश्य भारत को अपने छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। तदनुसार, भारत सरकार ने जनवरी 2015 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। तीन परामर्श प्रक्रिया प्रमुख थी: ऑनलाइन परामर्श; गाँव / जमीनी स्तर से राज्य स्तर तक परामर्श, और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श सहित विषयगत परामर्श। सितंबर-अक्टूबर 2015 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्वी, मध्य, उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छह जोनल बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों और संबंधित राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। नई शिक्षा नीति (एनईपी) में मुख्य चिंताओं पर चर्चा 25 अक्टूबर, 2016 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 64 वीं बैठक में की गई थी। प्रारंभ में, मंत्रालय ने स्वर्गीय श्री टीएसआर सुब्रमण्यन, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 2015 को नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जिन्होंने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, मंत्रालय ने 'मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए। मसौदा नीति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में एक छोटी अवधि की चर्चा हुई। बाद में, प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण, डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 'ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति' का गठन जून 2017 में किया गया था और समिति द्वारा 31 मई, 2019 को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत किया गया है। । ड्राफ्ट एनईपी 2019 को एमएचआरडी की वेबसाइट पर और सभी हितधारकों से सुझाव / टिप्पणियों को प्राप्त करने innovate.mygov.in प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और पुडुचेरी के सांसदों के साथ-साथ राज्य शिक्षा सचिवों के साथ चर्चा हुई। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेही और वहनीयता के आधारभूत स्तंभों पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य एक न्यायसंगत, न्यायसंगत और मानवीय समाज के निर्माण के लिए गुणवत्ता और समानता पर निर्मित शिक्षा प्रणाली की ओर है। ड्राफ्ट एनईपी 2019 में कई सुधार उपायों का प्रस्ताव किया गया है ताकि सभी छात्रों को देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान पहुंच हो। उन्होंने

गर्व के साथ कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया है। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए और इसे देश के नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि आज 'न्यू इंडिया' के लिए आधारशिला के रूप में चिह्नित किया गया है और हम इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे। 90 लाख से अधिक शिक्षक और 33 करोड़ छात्र हैं, इसलिए हम इन मेधावी बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे और दुनिया में सफलताओं के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। अंत में, उन्होंने सभी से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया और विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए नई शिक्षा नीति हमारे देश के बच्चों और युवाओं के भविष्य की चिंता करती है। इन शब्दों के साथ, उन्होंने कार्यवाही की सफलता की कामना की।

9. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट **2018-19 (**एआईएसएचई**)** पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया

10. श्री मदन मोहन, एडीजी **(**सांख्यिकी**),** उच्चतर शिक्षा, एमएचआरडी ने उच्चतर शिक्षा 2018-19 (एआईएसएचई) पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए और सर्वेक्षण प्रक्रिया के प्रमुख अंशो नामांकन अनुपात का विवरण, एससी और एसटी के लिए जीईआर और जेंडर पारिटी आदि को साझा किया।

11. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शैक्षणिक समुदाय के बीच शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनफिलिबनेट द्वारा तैयार "साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले साफ्टवेयर शोध शुद्धि का शुभारंभ किया।

12. इनफिलिबनेट के निदेशक प्रो. जे. पी. सिंह, ने शोध की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने साझा किया कि यह अकादमिक समुदाय के बीच अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने की एक पहल है और इनफिलिबनेट सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रहा है। इनफिलिबनेट एमएचआरडी के मार्गदर्शन में शोध शुद्धि को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

13. सीबीएसई की चेयरपर्सन सुश्री अनिता करवाल ने स्कूली शिक्षा को कवर करने वाली ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिस स्किल्स, टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड ऐक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क **(**एसक्यूएएएफ), आरटीई एक्ट की समीक्षा, एजुकेशन के अल्टरनेटिव मॉडल्स, अंडर रिप्रजेंट ग्रुप्स **(**यूआरजी) का प्रतिनिधित्व क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जैसे एनसीएफ की पुनरीक्षण, स्कूल परिसर, स्कूल प्रबंधन समितियों **(**एसएमसी**)**, राष्ट्रीय अध्यापक कार्यक्रम, डीएनईईपी की अन्य सिफारिशों के अलावा, पैरा शिक्षकों के मुद्दों का समाधान शिक्षकों के लिए कार्यकाल प्रणाली।

14. सचिव, उच्च शिक्षा ने सभी राज्य शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वे ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषकर स्कूल शिक्षा पर अपने विचार साझा करें

15. श्री औदिमुलपु सुरेश, माननीय शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश ने उन माताओं के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम का सुझाव दिया जो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। उन्होंने साझा किया कि राज्य ने सरकार की 100 दिनों की उपलब्धि के तहत आमोदी "(माँ की गोद**)** कार्यक्रम शुरू किया है और इसके परिणामस्वरूप 2 लाख नामांकन बढ़ गए हैं। इसलिए उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने घुमंतू जनजातियों के लिए मोबाइल स्कूल, एकीकृत पाठ्यक्रम, ड्रॉप आउट अनुपात को कम करने के लिए कदम, किसी भी विषय को चुनने की स्वतंत्रता देने, शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय, माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर सामग्री के लिए एकल कार्यक्रम, शिक्षा सामग्री के लिए एकल डिपॉजिटरी और छात्रों के लिए अद्यतन ऑनलाइन सामग्री के लिए कई पहलों का सुझाव दिया। स्कूली शिक्षा के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता में सुधार होना चाहिए और शिक्षा के वितरण में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय शिक्षा सेवाओं को प्रभावी प्रशासन के लिए अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तर्ज पर शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निजी स्कूल के

शिक्षकों की शर्तों के बारे में बात नहीं करने के लिए ड्राफ्ट एनईपी के बारे में चिंता जताई और सुझाव दिया कि नीति को चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अंत में, उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित करने और ड्राफ्ट एनईपी पर चर्चा करने के लिए सीएबीई बैठक आयोजित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया।

16. श्री के.एन. प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार ने ड्राफ्ट एनईपी पर चर्चा करने के लिए विशेष सीएबीई बैठक के आयोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री और एमओएस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वित्त इस नीति को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मसौदा नीति ने कार्यान्वयन के लिए वित्तीय योजना के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरटीई विस्तार राज्यों को वित्त के मामले में और अधिक बोझ देगा, इसलिए केंद्र सरकार को इसके लिए लागत वहन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एमडीएम को भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डीबीटी के आधार पर किया जाना चाहिए और पंचायती राज संस्थानों की भूमिका नीति दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षायोग (आरएसए) में राज्य के शिक्षा मंत्री शामिल होने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से विशिष्ट मिशन नालंदा के प्रस्तावित नीतिगत उपायों की सराहना की और सुझाव दिया कि निजी विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य ने भाषाओं के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अंत में उन्होंने यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव का समर्थन करेगी लेकिन इसके लिए वित्तीय सहायता और उचित वित्तीय योजना की आवश्यकता है।

17. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री, दिल्ली ने शिक्षा को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री और एनईपी टीम को बधाई दी। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने जैसे कुछ प्रस्तावित नीतिगत कदमों की सराहना की। उन्होंने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल **5%** बच्चे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, बाकी **95%** औसत गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि सार्वजनिक वित्त पोषित स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें निजी स्कूल की बराबरी पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वित्त पोषित स्कूल अत्यधिक विनियमित और निम्न वित्त पोषित हैं और एनईपी का मसौदा इसका समाधान नहीं कर रहा है। बहुत अधिक नियमन है जिसे शिथिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का **6%** प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार को इसे प्राप्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए जब तक कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को निधि आवंटित करने के लिए बाध्य करे, नीति से भारत में शिक्षा के परिवर्तन का परिणाम नहीं होगा। उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की सराहना की लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई में कैसे विलय किया जाए। उन्होंने दिल्ली की कुछ प्रमुख पहलें जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम, उद्यमिता मानसिकता का कार्यक्रम और राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर आधारित पाठ्यक्रम को साझा किया। ऑन-डिमांड परीक्षा प्रणाली के बारे में, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या सीबीएसई इसके लिए तैयार है। उन्होंने रट्टा सीखने से बचने के लिए परीक्षा प्रणाली का पूरा आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया। उन्होंने स्कूल परिसर प्रणाली और स्कूल प्रबंधन प्रणाली की सराहना की लेकिन सुझाव दिया कि एसएमसी को वित्त पोषित किया जाना चाहिए और शिक्षक भर्ती बोर्ड आवश्यक है। ईसीसीई के लिए बच्चों की उम्र तय की जानी चाहिए और निजी शिक्षा बोर्डों से बचना चाहिए। 4 साल का बी.एड. कार्यक्रम अच्छा है लेकिन DIETs, उनकी भूमिका और भविष्य में स्थिति क्या होगी, इसके बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है। टेन्योर ट्रैक प्रणाली अच्छी है, लेकिन विवाद होगा इसलिए हमें अधिक वेतन प्रदान करना चाहिए और उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थायित्व का प्रावधान करना चाहिए ताकि सबसे अच्छी प्रतिभा आकर्षित हो। बच्चों को सुबह का नाश्ता प्रदान करना एक अच्छा विचार है लेकिन कार्यान्वयन के मुद्दे जुड़े हैं।

18. श्री भूपेन्द्रसिंह मनुभा चुडासमा, माननीय शिक्षा मंत्री, गुजरात ने सुधारों को लाने के लिए मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी, जो देश की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगें। उन्होंने विभिन्न राज्य की पहल जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, साहित्यिक कौशल को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम और एनईपी पर विस्तृत परामर्श करने के लिए कुलपतियों, सीएम और शिक्षाविदों के साथ बैठक करना आदि को साझा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, आरएसए और राज्य स्कूल

विनियमन प्राधिकरण (एसएसआरए) का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल प्रबंधन समिति की केवल सलाहकार भूमिका होनी चाहिए और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 होना चाहिए ताकि हम इसे स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर मना सकें।

19. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने सभी का स्वागत किया और सीएबीई की बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 दशकों के बाद नई नीति की शुरुआत करने और उसे लाने के लिए बधाई दी। उन्होंने पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति और राज्य से जुड़ी समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने साझा किया कि राज्य ने प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू कीं और परिणाम अच्छे हैं इसलिए इसे अपनाया जाना चाहिए। नाश्ते और दोपहर के भोजन की सुविधा पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किल है और शिक्षक हर समय एमडीएम में लगे रहते हैं, इसलिए अलग सुविधाएं और निधियन होना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मौसम की स्थिति में संभव नहीं है, जिसमें शीतकालीन अवकाश के कारण स्कूल में कार्यदिवस सीमित है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही अंग्रेजी और संस्कृत शुरू की जानी चाहिए और कठोर स्टेशनों में शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन और आवासीय सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उन्हें कठोर स्टेशनों में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। निजी स्कूलों की निगरानी के लिए नियामक तंत्र होना चाहिए और राज्य मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करता है।

20. सुश्री नीरा यादव, माननीय शिक्षा मंत्री, झारखंड ने माता-पिता की पूजा करने के लिए राज्य की प्रमुख पहलें साझा कीं जैसे 'मातृ पितृ कार्यक्रम', जिसे **6000** एकीकृत स्कूलों में शुरू किया गया है, जिन्हें झारखंड शिक्षा ट्रिब्यूनल के माध्यम से मान्यता दी गई है, **100%** साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए कदम उठाना, मुंडारी भाषा का अध्ययन उन्होंने कहा कि **42** लाख छात्र हैं, इसलिए सेमेस्टर प्रणाली संभव नहीं है, और शिक्षक छात्र अनुपात को देखा जाना चाहिए। उन्होंने पैरा शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि यह उन्हें हटाना व्यवहार्य नहीं उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षक को केवल शिक्षण गतिविधियों में जोड़ा जाना चाहिए और भारतीय शिक्षा सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, केजीबीवी मॉडल स्कूलों को बढ़ाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में जल संरक्षण शामिल होना चाहिए, संस्कृत और हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए, और विज्ञान और कार्यक्रम पर आधारित आसान पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी के विचार का समर्थन किया और आग्रह किया कि पूरे देश में सीबीएसई पैटर्न को अपनाया जाए। उन्होंने स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने का विरोध किया और सुझाव दिया कि आदिवासी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

21. श्री सी. रवींद्रनाथ, माननीय शिक्षा मंत्री, केरल ने कहा कि पुरानी शिक्षा नीतियों की उनकी सफलता और असफलता के संदर्भ में समीक्षा की जानी चाहिए और ड्राफ्ट एनईपी पर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। देश के संघीय ढांचे पर जोर देते हुए, उन्होंने इस नीति के गंभीर निहितार्थ को उठाया जो केंद्रीयकरण की ओर अग्रसर है और देश की मूल संरचना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, आरटीई अधिनियम बुरी तरह प्रभावित होगा और हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे और इससे असमानता पैदा होगी। आरएसए का परिणाम अंत में शक्ति का एकजुट होना होगा इसलिए इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाना वर्तमान शिक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ राज्य को प्रस्तावित **5 + 3 + 3 + 4** संरचना को अपनाने में लचीलापन नहीं देता है जो राज्य के संघीय अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया और कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि स्कूल की किताबें तैयार करते समय, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को अक्सर जिम्मेदार निकायों द्वारा अनदेखा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मसौदा निजीकरण और व्यावसायीकरण की ओर अग्रसर है इसलिए स्वीकार्य नहीं है और इस पर व्यापक परामर्श के माध्यम से चर्चा की जानी चाहिए।

22. श्री राधेश्याम सिंह, माननीय शिक्षा मंत्री, मणिपुर ने मसौदा नीति की सराहना की और इसे एक व्यापक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा कि परिवार और माता-पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उन्हें शिक्षा प्रणाली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि केजीबीवी

शिक्षकों को ठीक से नियुक्त किया जाना चाहिए और गुरुकुल प्रणाली अच्छी है। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली का विरोध किया और सुझाव दिया कि बच्चों को कम गृह कार्य दिया जाना चाहिए और उन्हें खेलने के लिए खाली समय प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों की आत्महत्या के बारे में चिंता जताई और युवा बच्चों के बीच इन मुद्दों को हल करने के लिए उपचारात्मक हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला शिक्षा प्रबंधक को शिक्षा प्रभारी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की अधिक मजबूत नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में एमडीएम के अलावा नाश्ता उपलब्ध कराने का अतिरिक्त बोझ बनाए रखना मुश्किल है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षक जिला मजिस्ट्रेट से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

23. श्री लाहमेन रिम्बुई, माननीय शिक्षा मंत्री, मेघालय ने कहा कि 4 वर्षीय बी.एड. एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अलग-अलग प्रबंधन संरचना के कारण राज्य में एसएमसी व्यवहार्य नहीं है और बहुत सारे अल्पसंख्यक स्कूल हैं इसलिए एसएमसी संविधान के अनुच्छेद 29 के विपरीत होगा, इसलिए वह एसएमसी के लिए केवल सलाहकार भूमिका का सुझाव देता है। उन्होंने भविष्य में डाइट की भूमिका की अधिक स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि स्टैंड अलोन संस्थान बंद हो जाएंगे और समान वेतन संरचना बनाना मुश्किल है और इससे राज्य पर और बोझ पड़ेगा।

24. श्री लालचंदमा राल्ते , माननीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री , मिजोरम ने विचार व्यक्त किया कि मिजोरम जैसे राज्यों के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने साझा किया कि प्राथमिक विद्यालय में हिंदी शिक्षा शुरू की गई है और राज्य में हिंदी शिक्षा में वृद्धि हुई है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से सभी राज्यों को साथ लेकर चलने का आग्रह किया और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 3 भाषा के फॉर्मूले में लचीलापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग संविधान के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी में प्रत्येक हितधारक का हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

25. श्री प्रभुराम चौधरी , माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश ने राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की और सुझाव दिया कि केंद्रीयकरण से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य के अपने शिक्षक मंडल है इसलिए शिक्षा आयोग को भाषा के नाम पर आगे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना सही नहीं है। उन्होंने कम आय वाले परिवारों के कारण स्कूल ड्रॉप आउट से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला, इसलिए अनिवार्य शिक्षा के 3-18 वर्षों के बजाय 3-16 वर्ष अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया। उन्होंने जगह-जगह खुलने वाले कोचिंग के बारे में चिंता जताई और सुझाव दिया कि सभी कार्यक्रमों/योजनाओं का समेकन पर्याप्त नहीं है और सभी मिशनों को अलग से काम करने की अनुमति है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य नियामक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने राज्य के शिक्षा विभाग को मजबूत करना चाहिए और शिक्षा के लिए उचित बजट आवंटन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय करना चाहिए। धर्म, पहनावे, संस्कृति आदि के आधार पर बच्चों में अंतर पैदा करने के प्रति सतर्कता बरतते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा मंत्रालय के तहत आना चाहिए और एमडीएम के लिए अलग से स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षक की उपलब्धता भी स्कूलों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली एक अच्छा विचार नहीं है और पहले की बोर्ड प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

26. श्री समीर रंजन दास, माननीय स्कूल एवं जन शिक्षा राज्य मंत्री, ओडिशा ने एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज बताते हुए नीति की सराहना की। उन्होंने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री के कथनों का समर्थन किया और कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बहुत बड़ा अंतर है इसलिए एनईपी को इन अंतरालों को कम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नीति को लागू करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है और एक उचित आवंटन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है लेकिन हमें बुनियादी ढांचे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना होगा और राज्यों के लिए यह अकेले करना संभव नहीं है इसलिए केंद्र सरकार को इसके लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों द्वारा बोझ को कम करने के लिए केंद्र द्वारा नाश्ते के प्रस्ताव को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने साझा किया कि राज्य सरकार ने दसवीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से 'मिशन

जीरो फेल' कार्यक्रम शुरू किया था और 6,000 आवासीय विद्यालयों का निर्माण अपने स्वयं के कोष से किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया । उन्होंने यह भी कहा कि विशेष क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूलों में जनजाति विशिष्ट शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती एक चुनौती है।

27. श्री आर. कमलाकन्नन , माननीय शिक्षा मंत्री, पुदुचेरी ने राज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाले प्रस्तावना और अधिकारों का संदर्भ देते हुए शुरुआत की। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन किया और 2 भाषा सूत्र सुझाए । उन्होंने बताया कि राज्य लैंगिक समानता और जीईआर के मामले में अच्छा कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अंत में, उन्होंने कहा कि मसौदे में क्षेत्रीय भावनाओं और जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

28. श्री विजय इंदर सिंगला , माननीय शिक्षा मंत्री, पंजाब ने फिट इंडिया कार्यक्रम की सराहना की और सुझाव दिया कि बुनियादी सुविधाओं और खेल के मैदानों के विकास के लिए सरकारी स्कूलों को धन दिया जाना चाहिए। उन्होंने साझा किया कि राज्य ने सरकारी स्कूलों में अच्छे परिणाम दिखाए हैं और उन्होंने दो साल पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी और यह अच्छा चल रहा है लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई कुछ चुनौतियां और समस्याएं हैं। केंद्र सरकार को पूर्व-प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग से फंड मुहैया कराना चाहिए। मूलभूत और संख्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए, राज्य ने पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब 'योजना शुरू की है। राज्य ने रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड कार्यक्रम का विरोध किया है और पाकिस्तान से जुड़े सीमा क्षेत्रों पर एक विशेष पैकेज और शिक्षा क्षेत्र की मांग की है। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूलों में परोपकारी दान स्वीकार करने का प्रावधान होना चाहिए।

29. श्री गोविंद सिंह डोटासरा , माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री , राजस्थान ने सीएबीई की बैठक में सभी शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सराहना की और साझा किया है कि राज्य में आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचों और 10,000 रुपये वेतन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। अत: इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले निधियन अनुपात 90:10 था, लेकिन अब यह 60:40 अनुपात हो गया है जो कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन में समस्या पैदा कर रहा है । उन्होंने साझा किया कि राज्य ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की है, मासिक बाल सभा कार्यक्रम का आयोजन किया है और बच्चों के स्कूल बैग के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने ' विवेकानंद स्कूल मॉडल', 9वीं - 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार , शिक्षकों की भर्ती के लिए उचित तंत्र और साक्षात्कार प्रणाली को समाप्त करने जैसे कुछ उपाय सुझाए । उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक स्कूल की स्थापना के लिए पर्याप्त बजट होना चाहिए । उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया और केंद्र सरकार से 90:10 के निधियन अनुपात को फिर से ठीक करने का आग्रह किया।

30. सुश्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी, माननीय शिक्षा मंत्री, तेलंगाना ने श्री बी. जनार्दन रेड्डी, शिक्षा सचिव, तेलंगाना राज्य के संबंध में विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपस्थिति नीति की आवश्यकता है और सेमेस्टर प्रणाली अच्छी है। उन्होंने आरटीई अधिनियम की समीक्षा और स्कूली बच्चों के लिए परिवहन सुविधाओं में वृद्धि का सुझाव दिया। उनका विचार था कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा को अपनाया जाना चाहिए और स्कूलों में छात्र काउंसलर नियुक्त किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एमडीएम के रसोइयों और अन्य सहकर्मियों के वेतन और पारिश्रमिक को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में प्रवेश सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि स्कूलों में उपस्थिति में सुधार के लिए उचित उपाय होने चाहिए।

31. श्री अरविंद पांडेय, माननीय स्कूल, लेखा और संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने 50 मीटर के भीतर मौजूदा स्कूलों की क्लबिंग और क्लस्टरिंग करने, एक अकादमिक मॉल का निर्माण करने और सभी के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और निजी स्कूलों की निगरानी करने हेतु शैक्षणिक मॉल तैयार करने का सुझाव दिया

है| उन्होंने कहा कि शिक्षक पहाड़ी इलाकों में नियुक्ति से बचते हैं| अतः इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है| अंत में, उन्होंने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की|

32. डॉ. शकिला टी. शामसु, ओएसडी (एनईपी) एमएचआरडी ने उच्चतर शिक्षा को शामिल कर मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी| उन्होंने अल्प प्रतिनिधि समूहों (यूआरजी), विशेष शिक्षा क्षेत्रों, उच्चतर शिक्षा में संकाय, शासन, उच्चतर शिक्षा में विनियमन और स्वायत्तता, संबद्धता प्रणाली, ओडीएल और शिक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ), भारतीय भाषाओँ का उन्नयन, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (आरएसई) और वित्तीयन पर ध्यान केंद्रित कर सांस्थानिक पुनर्गठन और समेकन, उच्च गुणवत्तापूर्ण उदार शिक्षा, सरल शिक्षा कार्यक्रम, जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया|

33. श्री के.टी. जलील, उच्चतर माननीय शिक्षा मंत्री, केरल ने केंद्र सरकार से रूसा के तहत जीईआर अनुपात में सुधार लाने के लिए निधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया| उन्होंने शिक्षण और अनुसंधान में अधिक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया और केरल के एसएएसी मॉडल को सहयोग और मान्यता देने का प्रस्ताव किया| उन्होंने एनआरएफ के प्रस्ताव की सराहना की लेकिन एनआरएफ में उचित प्रतिनिधित्व की इच्छा व्यक्त की| उन्होंने कॉलेजों के क्लस्टरिंग के लिए विशेष केंद्र सहायता का आग्रह किया| उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, मेरिट और आरक्षण प्रणाली को संरक्षित किया जाना चाहिए, स्वायत्तता के लिए पारदर्शिता प्रणाली की मांग की, निष्पादन के आधार पर विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने की प्रणाली और अध्ययन के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए| संकाय की कमी के संबंध में, संकाय विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोधकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए| उन्होंने केरल के लिए मलयालम विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु अनुरोध किया और कहा कि स्कूल परिसर की अवधारणा साध्य नहीं है| उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द का उपयोग न करने के लिए नीति की आलोचना की और सुझाव दिया कि वर्तमान संरचना बहुत ठोस है, अतः हमें इसे बदलना नहीं चाहिए| तथापि, इन कारणों से उन्होंने मसौदा नीति को अस्वीकार किया|

34. श्री भूपेंद्र सिंह मनुभा चौदसमा, माननीय शिक्षा मंत्री, गुजरात ने सुझाव दिया कि यूजीसी जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए| उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रों को 6 लाख कंप्यूटर टेबलेट का वितरण किया गया है|

35. श्री अरुण कुमार साहू, उच्चतर शिक्षा मंत्री, ओडिशा ने कहा कि राज्यों में नीति के कार्यान्वयन हेतु अधिक धन की आवश्यकता है इसलिए नीति के कार्यान्वयन की उचित वित्तीय योजना तैयार की जानी चाहिए| उन्होंने 'गिव बैक टू रूट्स' कार्यक्रम और निधि के मामले में पूर्व छात्रों को शामिल करने के तरीके का सुझाव दिया|

36. श्री दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश ने हिंदुत्व, बौद्ध और विदेशी भाषाओँ में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा की गई पहलों को साझा किया| उन्होंने सुझाव दिया कि यूपी मॉडल पर विचार किया जा सकता है और उच्चतर शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जा सकता है| उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक ही रहनी चाहिए, जोकि वर्तमान में है|

37. डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण, माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक ने कहा कि योजनाओं और कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन में वित्त महत्त्वपूर्ण होता है लेकिन अधिकतम राजस्व आवर्ती अनुदानों में जाता है| उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात में छूट मांग की और मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की|

38. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दिल्ली ने 'शोध संस्थाओं' के विचार की सराहना की लेकिन उपाधि देने वाले स्वायत्त कॉलेजों के विरुद्ध सावधान किया| उन्होंने छात्रों को निम्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले निजी कॉलेजों से संबद्ध मुद्दों को संसूचित किया एवं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सके, इस बारे में उल्लेख किया| उन्होंने उल्लेख किया कि हम

व्यावसायिक कॉलेजों को प्रतिष्ठापूर्ण बनाने में सफल नहीं रहे हैं| उन्होंने कहा कि दिल्ली में, वे अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें वे उन छात्रों को प्राथमिकता देंगे जिनके पास कक्षा X के बाद कौशल विकास में डिप्लोमा लिया है| उन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों में, हम विकासशील देशों की श्रेणी में रहे हैं और अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए, हमें शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा जोकि इसका एकमात्र रास्ता है, हमने नौकरी-प्रदाताओं और उद्यमियों का कभी भी स्वागत पुरस्कृत नहीं किया, बल्कि हमने केवल ऊंची नौकरी की तलाश करने वालों और कॉलेज प्लेसमेंट में छात्रों द्वारा प्राप्त उच्चतम पैकेज प्राप्त करने को महत्त्व दिया है| उन्होंने एनआरएफ की सराहना की और सुझाव दिया कि हमें बाजार अनुसंधान को आकर्षित करना चाहिए और कार्यकाल ट्रैक प्रणाली अच्छी है लेकिन हमें अच्छे वेतन पैकेज शामिल करने चाहिए| उन्होंने बहु-विषयात्मक शिक्षा और स्वायत्तता के विचार की भी सराहना की, लेकिन यह एक प्रतिमान परिवर्तन है और क्या भारत इसके लिए तैयार है? उन्होंने यह कहते हुए अपनी टिप्पणी दी कि 'भारतीय शिक्षा प्रणाली अत्यधिक विनियमित और खराब वित्त पोषित है'| इसे बदलने की जरूरत है| इस प्रकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ आरएसए जैसा प्रस्ताव, यह विनियमन के एक और चरण का निर्माण करेगा, जिस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है|

39. श्री ओमकार सिंह मरकाम, माननीय आदिवासी कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश ने आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी छात्रों के प्रवेश से संबंधित समस्याओं से जुड़े मुद्दों को संसूचित किया| उन्होंने सुझाव दिया कि बुलेट ट्रेन हेतु बजट प्रदान देने के स्थान पर, केंद्र सरकार को आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के हितों के लिए निधि प्रदान करना चाहिए| उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया| उन्होंने सरकार से निजीकरण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु अनुरोध किया और यह कहकर अपनी बात समाप्त की:

शिक्षित नागरिक, विकसित भारत
शिक्षित नौजवान, समृद्ध भारत

40. डॉ. धन सिंह रावत माननीय राज्य उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तरखंड ने केंद्र सरकार से 2019 में नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का आग्रह किया क्योंकि राज्य दुविधा में हैं कि एनईपी की प्रतीक्षा करें या राज्य शिक्षा योजनाओं के लिए काम करें| उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को विश्व रैंकिंग में लाने के लिए एक विश्वविद्यालय मॉडल रूप में काम करने का संकल्प करना चाहिए और निधियन को प्रदर्शन से जोड़ा जाना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए| उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को विश्वविद्यालयों के तहत चलने वाले कॉलेजों की सीमा तय करनी चाहिए और शिक्षकों के लिए पैरामीटर तैयार करना चाहिए| उन्होंने साझा किया कि उनके राज्य में उच्चतर शिक्षा नामांकन अनुपात 42% से बढ़कर 60% हो गया है और वे एनईपी पर चर्चा करने के लिए 28 और 29 सितंबर, 2019 को परामर्श कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं| उन्होंने कॉलेजों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए और शिक्षकों की रिक्ति को मिशन मोड में भरने हेतु दूरसंचार मंत्रालय के साथ समन्वय से काम करने का सुझाव दिया|

41. श्री औदिमुलापू सुरेश, माननीय शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश ने नीति की सराहना की और कहा कि इस नीति से भारत को ज्ञान और अनुसंधान के मामले में सुपर पावर बनने में सहायता मिलेगी| उन्होंने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में उत्कृष्टता कौशल केंद्र की शुरुआत करने की राज्य की पहल को साझा किया| उन्होंने स्टेकहोल्डरों से 360 डिग्री फीडबैक को शामिल करके मूल्यांकन प्रणाली और सीएसआर एवं एलुमनी निधियन का सुझाव दिया|

42. श्री प्रभुराम चौधरी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश ने कहा कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या कम करने से कॉलेज छोड़ने की दर की समस्या बढ़ेगी| उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया जाना चाहिए और स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए| उन्होंने कहा कि स्वयम की सामग्री हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए| मध्य प्रदेश में चल रहे निजी विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए|

43. श्री लालछंदमा राल्टे, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, मिजोरम ने केन्द्र सरकार से संकाय विकास कार्यक्रमों के लिए कॉलेजों को वित्तपोषित करने तथा और मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने 4 साल के कार्यक्रम के लिए नए संकाय की भर्ती का सुझाव दिया।

44. प्रोफेसर कपिल कुमार**,** पूर्व कुलपति जेएनयू और सीएबीई के मनोनीत सदस्य ने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली मैकाले मिनट पर आधारित है और उस समय से सभी रिपोर्टों ने नीति पर ध्यान न देकर मुख्य रूप से कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। उन्होंने यह सुझाव दिया की मातृभाषा ही पढ़ाई का माध्यम होनी चाहिए और यह एक धागा है, जो हमें एक साथ बांधे रख सकती है।

45. डॉ**.** रमेश पोखरियाल **'**निशंक**',** माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा में परिवर्तन के लिए व्यावहारिक विचार साझा करने वाले सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों की प्रशंसा करते हुए चर्चा का समापन किया। उन्होंने उच्चतर शिक्षा में 3 लाख रिक्तियों को भरने के मिशन को पूरा करने में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं एवं राज्यों को इन कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए और इसे सफल करना चाहिए। उन्होंने कहा की यह नीति केवल एक मसौदा है और सभी मौजूदा चल रहे कार्यक्रम और योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सभी भारतीय भाषाएं विशेषकर 22 क्षेत्रीय भाषाओं को सुदृढ़ करने पर काम कर रही है। माननीय मंत्री ने कई बिन्दुओं पर प्रकाश डाला, जैसे 15 लाख शिक्षकों को अर्पित कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ना, रैगिंग के खिलाफ अभियान; निकटवर्ती संस्थानों को शीर्ष-श्रेणी के संस्थानों द्वारा परामर्श प्रदान करना; उन्नत भारत अभियान; समग्र शिक्षा; जल सुरक्षा कार्यक्रम को जोड़ना; निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से 42 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमता/इंटेलिजेंस पर एक पाठ्यक्रम शुरू करना; 4 साल का बी.एड पाठ्यक्रम; एलईएपी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण; एनआईआरएफ अनुसंधान संस्थान; एचआईईएफए के माध्यम से संस्थानों को 1 लाख करोड़ की सहायता; 2 लाख लोगों का राष्ट्रीय हेकॉथान प्रतियोगिता में सहभागिता; हमारे संस्थानों की विश्व श्रेणी को सुधारने हेतु ईओआई के अंतर्गत 20 संस्थानों की पहचान करना; उद्योग में छात्रों की इंटर्नशिप; कार्यक्रम जैसे- इंप्रिंट/स्किल इंडिया मेक-इन-इंडिया; स्टडी इन-इंडिया कार्यक्रम; स्टार्ट-अप नीति, डिजिटल इंडिया; स्टार्ट-अप इंडिया, और भारत जागो कार्यक्रम; प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति,ज्याग योजना; 1000 एशियाई फैलोशिप आदि।
अंत में उन्होंने सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों से अपनी टिप्पणियां/ सुझाव जल्दी भेजने और 21 वीं सदी की शिक्षा नीति को तैयार करने में सहायता करने का अनुरोध किया।

46. स्वामी आत्मप्रियानन्द**,** कुलपति**,** रामकृष्णा मिशन ने निजीकरण के बारे में आशंका व्यक्त की और निजी संस्थानों को प्रत्यायन प्रक्रिया में शामिल करने का अनुरोध किया।

47. श्री वी**.**एल**.**वी**.**एस**.**एस सुब्बा राव**,** वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार**,** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने हेतु विशेष सीएबीई (कैब) बैठक का आयोजन करने के लिए माननीय एचआरएम और राज्य मंत्री का धन्यवाद किया। मंत्रालय की ओर से, उन्होंने सभी केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों, राज्य के प्रतिनिधियों, सचिव उच्चतर शिक्षा, एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, कैब के मनोनीत सदस्यों, स्वायत्त निकायों के प्रमुखों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का जिन्होंने कैब बैठक में भाग लेने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दिया।

*****

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की 21 सितंबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष सत्र के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार।
2. श्री किरेन रिजिजू, भारत सरकार के युवा मामले और खेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री।
3. श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, भारत सरकार।
4. श्री संजय शामराव धोत्रे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार।
5. डॉ. औदिमुलपु सुरेश, शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश
6. श्री केएन प्रसाद वर्मा, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
7. श्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार
8. श्री भूपेंद्र सिन्हा मनुभा चुडासमा, शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार
9. श्रीमती विभावरीबेन दवे, शिक्षा राज्य मंत्री, गुजरात सरकार
10. श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, एचपी सरकार
11. डॉ. नीरा यादव, शिक्षा मंत्री, झारखंड सरकार
12. डॉ. सी.एन. अश्वतनारायण, उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार
13. प्रो. सी. रवींद्रनाथ, शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
14. डॉ. केटी जलील, उच्चतर शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
15. श्री राधेश्याम सिंह, शिक्षा मंत्री, मणिपुर सरकार
16. श्री लाहकमेन रिम्बुई, शिक्षा मंत्री, मेघालय सरकार
17. श्री लालचंदमा राल्ते, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, मिजोरम सरकार
18. डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
19. श्री ओंकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
20. श्री बाला बच्चन, तकनीकी शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
21. श्री अरुण कुमार साहू, उच्चतर शिक्षा मंत्री, ओडिशा सरकार
22. श्री प्रेमानंद नायक, राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा, ओडिशा सरकार
23. श्री समीर रंजन दास, राज्य मंत्री, स्कूल और जन शिक्षा, ओडिशा सरकार
24. श्री आर. कमलाकन्नन, शिक्षा मंत्री, पुडुचेरी सरकार
25. श्री विजय इंदर सिंगला, शिक्षा मंत्री, पंजाब सरकार
26. श्री गोविंद सिंह डोटासरा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
27. पी. सबिता इंद्रा रेड्डी, शिक्षा मंत्री, तेलंगाना सरकार
28. डॉ. दिनेश शर्मा, उप-मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
29. श्री अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
30. डॉ. धन सिंह रावत, उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
31. श्री आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव, उच्च शिक्षा, भारत सरकार
32. सुश्री रीना रे, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, भारत सरकार।
33. श्री वीएलवीएसएस सुब्बा राव, सीनियर ईसीओ सलाहकार, उच्चतर शिक्षा, एमएचआरडी
34. श्री एसएस संधू, अतिरिक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार।
35. श्री अजय टिर्की, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
36. श्री मनीश गर्ग, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार।
37. श्री दर्शन ममाया डबराल, संयुक्त सचिव और एफए, एमएचआरडी, भारत सरकार।
38. श्री मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी , भारत सरकार।
39. श्रीमती आरसी मीणा, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार।
40. श्री राजीब के सेन, संयुक्त सचिव और ईए, एमएचआरडी, भारत सरकार।
41. श्री जीसी हुसूर, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार।

42. डॉ. जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
43. श्री अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
44. श्रीमती एलएस चांगसन, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार
45. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार
46. श्री प्रणव कुल्लर, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
47. श्रीमती योगिता स्वरूप, ईए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
48. श्री मदन मोहन, एमएचआरडी, पीआर. सीसीए, एमएचआरडी, भारत सरकार
49. श्रीमती आर. सावित्री, डीडीजी, एमएचआरडी, भारत सरकार।
50. श्रीमती सुनीता सांघी, एमएसडीई, वरिष्ठ सलाहकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार
51. प्रो. डीपी सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
52. प्रो. एमएम सालुंके, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़
53. श्री अनिल सहस्रबुद्धे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
54. श्रीमती अनीता करवाल, अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
55. श्री हृषिकेश सेनापति, निदेशक, एनसीईआरटी
56. श्री मंजुल भार्गव, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
57. श्री एम.के. श्रीधर
58. श्रीमती अंजलि देश पांडे
59. श्रीमती इंदुमति राऊ
60. डॉ. पंकज चंदे, गैर-अधिकारी, निजी सदस्य
61. श्री नाहिद आबिदी, सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, भारत सरकार
62. श्रीमती मंजू सिंह, वर्ल्डकिड्स
63. श्री स्वामी आत्मप्रियानंद, कुलपति, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद विश्वविद्यालय
64. श्री विनायक लोहानी, संस्थापक और प्रमुख, परवर एजुकेशन सोसाइटी
65. डॉ. जोरम बेगी, पूर्व निदेशक एचओटी, ईडी, अरुणाचल प्रदेश सरकार
66. श्री लतीफ़ मागदुम, सचिव, महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, पुणे
67. प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल, कुलपति, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड
68. श्री संतोष कुमार मल्ल, आयुक्त, केवीएस, एमएचआरडी
69. श्री बिश्वजीत कुमार सिंह, आयुक्त, एनवीएस, एमएचआरडी
70. श्री एनवी वर्गीस, कुलपति, एनआईईपीए, नई दिल्ली
71. श्री एपी जमखेडकर, अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
72. श्री रमेश चंद्र सिन्हा, अध्यक्ष, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
73. श्री प्रियांक कानूनंगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
74. डॉ. प्रवीर अस्थाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
75. डॉ. जयंत दपुजारी, अध्यक्ष, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन
76. डॉ. विजय गर्ग, अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली
77. श्रीमती आर मंजू शर्मा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया की प्रतिनिधि
78. प्रो. बीएस घुमन, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब
79. डॉ. पीएस पांडे, एडीजी (कृषि शिक्षा) डेयर, आईसीएआर
80. प्रो. देबज्योति चौधरी, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) के प्रतिनिधि
81. डॉ. सुदीप सरीन, सलाहकार/वैज्ञानिक-सी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

82. सुश्री शकीला टी. शम्सू, ओएसडी (एनईपी), एमएचआरडी, भारत सरकार
83. श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, माननीय एचआरडी मंत्री के पीएस
84. श्री केदार बुरन्डे, मानव संसाधन राज्य मंत्री के पीएस
85. श्री. जितेंद्र वाश, एमएचआरडी मंत्री के पीएस
86. श्री ए. वैभव कुमार, एमएचआरडी एवं संचार मंत्री के अतिरिक्त पीएस
87. श्री आर. के. महाजन, अपर। मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
88. श्री बीएल शर्मा, शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ सरकार
89. डॉ. विनोद राव, शिक्षा सचिव, गुजरात सरकार
90. डॉ. बी. जर्नाधन रेड्डी, स्कूल/उच्च शिक्षा, सचिव तेलंगाना
91. श्री ए. अनारसु, सचिव (शिक्षा), पुदुचेरी सरकार
92. श्री कृष्ण कुमार, सचिव, पंजाब सरकार
93. श्री संदीप कुमार, सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार
94. श्री चिन्मय पी. गोतमारे, सचिव (शिक्षा), मेघालय सरकार
95. सुश्री सरिता चौहान, उच्च शिक्षा आयुक्त/सचिव जम्मू और कश्मीर सरकार
96. श्री सास्वत मिश्रा, कमिश्नर, उच्च शिक्षा, ओडिशा सरकार
97. श्री एमपी अरोड़ा, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा पंजाब सरकार
98. डॉ. बलकार सिंह, विशेष सचिव और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा सरकार
99. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
100. श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
101. श्री बी. राजशेखर, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, आंध्र प्रदेश
102. श्री प्रदीप यादव, प्रमुख सचिव, शिक्षा स्कूल तमिलनाडु
103. श्री कमलेश के पंत, प्रमुख सचिव (डूडू), हिमाचल प्रदेश सरकार
104. श्रीमती अंजू शर्मा, प्रमुख सचिव, गुजरात सरकार
105. डॉ. उषा टाइटस, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, केरल सरकार
106. श्री अश्वनी चंद, सिक्किम सरकार, आरसी सिक्किम
107. श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखंड सरकार
108. श्री ए. श्रीनिवास, निदेशक उच्च शिक्षा, हरियाणा सरकार
109. श्री कमलेश कुमार, जेएस (एचई) और निदेशक (शिक्षा), अंडमान और निकोबार
110. डॉ. दलीप कुमार, एएसपीडी (रूसा), चंडीगढ़ प्रशासन
111. श्री पी. कविता रेड्डी, शिक्षा विभाग तेलंगाना सरकार
112. डॉ. एम.एस. सरकारिया, स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार
113. डॉ. भाग्यवानवा, विशेष अधिकारी, उच्च शिक्षा, कर्नाटक सरकार
114. डॉ. एम.टी. रेजू, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, कर्नाटक सरकार
115. श्री थॉमस थिलु, ओएसडी, नागालैंड हाउस, नई दिल्ली
116. डॉ. रणवीर सिंह, ओएसडी, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
117. श्री राकेश कुमार पोपली, निदेशक, उच्च शिक्षा, चंडीगढ़ सरकार
118. श्री लालमाचुआना, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मिज़ोरम सरकार
119. डॉ. राजेश पी. खंबायत, संयुक्त निदेशक, पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
120. डॉ. हेमंत वर्मा, उप-निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा सरकार
121. श्री गौतम सिंह, आईएएस, एपीडी, आरएमएसए, भोपाल
122. श्री प्रमोद कुमार, प्रोग्राम अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार
123. श्री कुलदीप मेहता, सहायक निदेशक, विभाग स्कूल शिक्षा, हरियाणा सरकार
124. श्रीमती दीपा आनंद, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
125. श्री अभय कुमार सिन्हा, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के पीएस, झारखंड सरकार
126. श्री अमित कुमार, पीएस, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
127. श्री बी. गंगाधर, अतिरिक्त पीएस, शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार

128. श्री शैलेन्द्र शर्मा, एनसीटी, दिल्ली सरकार
129. श्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग, पंजाब
130. श्री देबासीस सिंह, पीएस, उच्च शिक्षा मंत्री, ओडिशा सरकार
131. श्री सुनील बजाज, उप डी.आर. हरियाणा एससीईआरटी, गुरुग्राम,
132. श्री आरके ओबेरॉय, रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद
133. श्री वीके सिलजो, निदेशक (आईसीसी), उच्चतर शिक्षा विभाग, एमएचआरडी
134. श्री नवेंद्र सिंह, निदेशक, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय
135. श्रीमती राशी शर्मा, निदेशक (टीई), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
136. डॉ. रेणुका मिश्रा, निदेशक, डीएचई, एमएचआरडी
137. श्री एमएस रवि, निदेशक (एसएसए-1), एमएचआरडी
138. सुश्री सुहासिनी गोतमारे, निदेशक, एमएचआरडी
139. श्री अनिल कुमार, एमएचआरडी
140. श्री अनिल काकरिया, निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
141. सुश्री स्मिता श्रीवास्तव, निदेशक, एमएचआरडी
142. श्री वीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक, एमएचआरडी
143. श्री पीके बाली, उप-सचिव, एमएचआरडी
144. श्री पीपी गुप्ता, उप-सचिव, एमएचआरडी
145. श्री बी.के. सिंह, उप-सचिव, एमएचआरडी
146. श्री वीके वर्मा, उप-सचिव, एमएचआरडी
147. श्री फज़ल महमूद, उप-सचिव, एमएचआरडी
148. श्री डीकेडी राव, उप-सचिव, एमएचआरडी
149. श्री रवि कात्याल, उप-निदेशक। सचिव एमएचआरडी
150. श्रीमती मालती नारायणन, उप-सचिव (टेल), एमएचआरडी
151. श्री एम.पी. सिंह, उप-सचिव, एमएचआरडी
152. श्री के सी वार्निंग, उप-सचिव एमएचआरडी
153. श्री टी.एस. रौतेला, उप-सचिव, एमएचआरडी
154. श्री सुभाष चंदर, उप-सचिव, एमएचआरडी
155. श्री बी.बी. भगत, उप-सचिव, एमएचआरडी
156. श्री अनिल भंडूला, उप-सचिव, एमएचआरडी
157. श्री एम. श्रीधर, उप-सचिव, एमएचआरडी
158. श्रीमती पूर्णिमा टुडू, उप-सचिव, एमएचआरडी
159. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उप-सचिव, एमएचआरडी
160. श्री अरुण कुमार सिंह, उप-सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
161. श्री आशिम कुमार चट्टोपाध्याय, अवर सचिव, एमएचआरडी
162. श्रीमती किरण अरोड़ा, अवर सचिव, एमएचआरडी
163. श्री हर्षित मिश्रा, उप-सलाहकार, नीति आयोग
164. श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, यूजीसी, गांधी नगर
165. श्री अभिषेक कुमार, वैज्ञानिक-डी, यूजीसी, गांधी नगर
166. श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, वास्तुकला परिषद
167. श्री टी. प्रीतम सिंह, राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षा परिषद (एनसीटीई)
168. श्री परमेश, सलाहकार, एमएचआरडी
169. श्री लोकेन्द्र मोहन, एमएचआरडी
170. सुश्री सान्या ग्रोवर, एमएचआरडी
171. श्री प्रशांत नाइक, एमएचआरडी
172. श्री सौरव, एमएचआरडी
173. श्री ओंकार मराठे, एमएचआरडी
174. श्री जी. विजय भास्कर, एमएचआरडी
175. श्री गौरव शर्मा, एमएचआरडी
176. श्री एस्तेर जीन डुंगडुंग, एमएचआरडी

177. श्री विकास मेहता, एमएचआरडी
178. श्री संजीव कुमार, एमएचआरडी
179. श्री शिवम पांडे, एमएचआरडी
180. सुश्री मीना कुमारी, एमएचआरडी
181. सुश्री पिया ठाकुर, केवीएस (मुख्यालय)
182. सुश्री उषा शर्मा, एनसीईआरटी
183. सुश्री संध्या सिंह, एनसीईआरटी
184. श्री अनुपम आहूजा, एनसीईआरटी
185. श्री अंजुम सिबिया, एनसीईआरटी
186. सुश्री अनीता जुल्का, डीईजीएसएन, एनसीईआरटी
187. सुश्री नीरजा रश्मि, डीईएस, एनसीईआरटी
188. प्रो. इंदु कुमार, एनसीईआरटी
189. प्रो. अनूप कुमार राजपूत, एनसीईआरटी
190. श्री अरुण नैथानी, एएससी, (स्कूल-4), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
191. श्री सतेश कुमार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
192. श्री प्रवल शर्मा, टीएसजी, एमएचआरडी
193. श्री विवर वर्मा, टीएसजी, एमएचआरडी
194. श्री अमित शर्मा, टीएसजी, एमएचआरडी
195. श्री अब्दुल्ला फैसल, वाईपी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
196. श्री मनोज कुमार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
197. श्री वरदा एम. निकल्जे, डीईई, एनसीईआरटी
198. सुश्री सीमा एस. ओझा, एनसीईआरटी
199. प्रो. श्रीधर श्रीवास्तव, एनसीईआरटी
200. सुश्री अलका मिश्रा, टीएसजी, एमएचआरडी
201. श्री अजय तिवारी, एनसीईआरटी
202. श्री मनीष मिश्रा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
203. डॉ. एसके चौहान, एनसीटीई, नई दिल्ली
204. सुश्री नेहा, एनसीटीई, नई दिल्ली
205. अमरेन्द्र पी. बेहरा, संयुक्त निदेशक सीआईईटी-एनसीईआरटी
206. श्री के. गिरिजा शंकर, सीनियर कंसल्टेंट टीएसजी, एडसीआईएल
207. डॉ. प्रवीण कुमार, सलाहकार, एमएचआरडी
208. श्री वीएम भट्ट एमएचआरडी
209. श्री एके सिंह, यूपी सरकार
210. श्री करण वर्मा, एमएचआरडी
211. श्री केके शर्मा, टीएसजी-एमडीएम
212. श्री दावंदर कुमार, टीएसजी-एमडीएम
213. श्री रूपक चौधरी, जनजातीय कार्य मंत्रालय
214. डॉ. नीरज कुमार पांडेय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
215. डॉ. अनिंदिता श्वेस्का, टीएसजी-एमडीएम एडसिल
216. श्री भूपेंद्र कुमार, टीएसजी-एमडीएम, एडसीआईएल
217. श्री अताउल्लाह खान, युवा व्यावसायिक, एमएचआरडी

***